प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 8

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला चौकी एसीबी, अजमेर थाना सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष 2023
प्र इ रि सं 100/2023 दिनांक 28/4/2023
2 (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 धारायें 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें 120बी
(स) अधिनियम धारायें
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें
3 (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 513 समय 5:30PM.
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 26.04.2023 समय 01.38 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 12.04.2023 समय 10.15 एएम
4 सूचना की किस्म – लिखित / मौखिक – लिखित
5 घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण 1 किलोमीटर
(ब) पता – नगर निगम कान्फ्रेंस हॉल, गांधी भवन, अजमेर बीट संख्या जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना जिला
6 परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री अजय सिंह रावत
(ब) पिता का नाम श्री प्रेम सिंह रावत
(स) जन्म तिथि / वर्ष 46 साल
(द) राष्ट्रीयता भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथी
जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय बेलदारी
(ल) पुराना बडगांव हनुमान जी मन्दिर के पास बडगांव पुलिस थाना आर्दश नगर अजमेर
7 ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
1. श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल जाति बलाई उम्र 49 साल निवासी 540 / 33, तोपदडा, पुलिस थाना क्लॉक टॉवर, अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक, नगर निगम, अजमेर.
2. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जीत सिंह जाति सिख भाटी उम्र 56 साल निवासी म.नं. 127, पृथ्वीराज नगर, भगवानगंज, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर एवं
3. श्री ऋषि माथुर पुत्र स्व0 श्री शीतल प्रसाद माथुर जाति कायस्थ उम्र 50 साल निवासी म.न. 46 आनंद नगर, पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज, अजमेर हाल ड्राफ्टमेन नगर निगम, अजमेर
8 परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही
9 चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
6,000रू0 रिश्वत राशि
10 चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
6,000/– –रू0 रिश्वत राशि
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अजमेर। विषय :–रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकडवाने बाबत। प्रार्थीः– अजय सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री प्रेमसिंह जाति रावत उम्र 46 साल निवासी पुराना बडगांव हनुमान जी मन्दिर के पास बडगांव पुलिस थाना आर्दश नगर अजमेर महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै प्रार्थी अनपढ हूँ तथा मजदूरी कता हूँ। मैने दिनांक 03.08.2022 को माखुपुरा गली न0 5 मै एक रहवासी मकान श्री शैलेष जैन से खरीद कर रजिस्ट्री मेरे नाम करवायी थी। उसके बाद मैने विधुत कनेक्शन भी अपने नाम करा लिया था। करीब एक माह पहले मुझे नगर निगम अजमेर व मेरे पडौसियों से जानकारी हुयी कि मेरे द्वारा खरीदे गये मकान का पटटा पूर्व के मालिक शैलेष जैन के नाम से जुलाई 2022 में बन गया था। इस पर मै नगर निगम अजमेर मे गया तथा अशोक बाबु से मिला तो उसने कहा कि शैलेष जैन को लेकर आओ। इस पर मैने शैलेष जैन को फोन किया तो उसने कहा कि अशोक बाबू 10 हजार रूपये मांग रहा है 10 हजार रूपये देने पर ही पटटा देगा, जिस पर मैने उसे कहा कि मेरे साथ चलना अपन दोनो चलकर बात कर लेगें। मै अशोक बाबू को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। कार्यवाही करावे। दिनांकः–12.04.2023 प्रार्थी–एसडी–अशोक सिह रावत

कार्यवाही पुलिस पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर

समयः– 10.15 ए.एम दिनांक 12.04.2023

उपरोक्त तहरीर रिपोर्ट परिवादी श्री अजय सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह जाति रावत उम्र 46 साल निवासी हनुमान जी मन्दिर के पास, पुलिस थाना आर्दश नगर अजमेर के पीछे पुराना

बडगांव तहसील जिला अजमेर ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक अतुल साहू के समक्ष प्रस्तुत की। परिवादी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तो उसमें अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में दरियाफ्त की तो बताया कि " मेरे मौहल्ले के सभी व्यक्तियों के मकानों के पट्टे बन गये है। नगर निगम अजमेर ने जुलाई 2022 को पट्टा अधिकारी जारी करने की आंशिक सूचना प्रकाशित की, जिसकी कॉपी प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सूचना की लिस्ट मे सात नम्बर पर शैलेष जैन का नाम है। नगर निगम के अशोक बाबू ने पट्टा देने के लिए शैलेष जैन के मार्फत 10 हजार रूपये मांग, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाईल में है। दिनांक 30.03.2023 को भी मैने शैलेष जैन को फोन किया तो उसने कहा कि आज छुट्टी है। 4-5 दिन बाद मै साथ चलकर अशोक बाबू से तुम्हारी मुलाकात करवा दूगा। उसके बाद शैलेष जैन से पुन: सम्पर्क नही हुआ। आज शैलेष जैन से मेरी बात हुयी तो उसने मुझे अभी 11.30 ए.एम. पर गांधीभवन चौराया बुलाया। वह मुझे अशोक बाबू के पास ले जाकर बात करवायेगा। परिवादी ने अपने मकान की रजिस्ट्री की फोटो प्रति प्रस्तुत की। पूछने पर बताया कि मेरी श्री अशोक बाबू, नगर निगम अजमेर से कोई रंजिश व उधार का लेन-देन नहीं है। कार्यालय के सी रामचन्द्र एचसी 58 को बुलाकर परिवादी से आपस मे परिचय करवाकर परिवादी के साथ नगर निगम कार्यालय अजमेर जाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने के निर्देश दिये। समय 11.25 ए.एम. दिनांक 12.04.2023 इस समय श्री रामचन्द्र एचसी 58 को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर देकर उसमें एक नया मैमोरी कार्ड डलवाकर मेमोरी कार्ड के पैकिंग कवर को श्री अतुल साहू अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा व श्री रामचन्द्र एचएसी को परिवादी के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतू नगर निगम कार्यालय अजमेर के लिए रवाना किया, जो कुछ समय बाद उपस्थित आये। श्री रामचन्द्र एचसी 58 ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत करते हुये बताया कि " हम दोनो रवाना होकर गांधीभवन चौराया के पास पहुचें। मैने परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डिंग चालू कर सिपुर्द कर गांधीभवन चौराया पर स्थित नगर निगम कार्यालय के लिए रवाना किया तथा मै भी उक्त निगम कार्यालय के आस पास मौजूद रहा। परिवादी व एक व्यक्ति जिसका नाम परिवादी शैलेष जैन बता रहा है दोनो कार्यालय मे चले गये। कुछ देर बाद परिवादी वापस आया तथा उसने मुझे वॉयस रिकॉर्डर पेश किया जिसे लेकर मैने बद किया। हम दोनो रवाना होकर आ गये। परिवादी ने बताया कि मै व शैलेष जैने दोनो नगर निगम के गांधीभवन चौराया मे गये जंहा पर बाबू जी अशोक भाटी ने पट्टा बनाने की एवज मे दस हजार रूपये मांगे तथा दो हजार रूपये ले लिए। पट्टा 25.04.2023 को देना व उस दिन 6 हजार रूपये लेना तय हुआ। वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुने तथा अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र मय सत्यापन वार्ता का वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् नरेश चौहान निरीक्षक पुलिस को सिपुर्द कर निर्देश दिये। जिस पर प्रार्थना पत्र रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को लेकर परिवादी सहित मन् निरीक्षक पुलिस नरेश चौहान अपने कक्ष में उपस्थित आया, अब तक की कार्यवाही का अवलोकन किया। वॉयस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रक्षित रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी, श्री अशोक भाटी, श्री शैलेष जैन व अशोक शर्मा (परिवादी के बताये अनुसार नगर निगम अजमेर के अन्य कार्मिक) के मध्य वार्ता होना पाया गया है। वार्ता में रिश्वत राशि सम्बन्धित वार्तालाप दर्ज होना पाया गया है। वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा पूछने पर आरोपी श्री अशोक भाटी द्वारा शैलेष जैन की तरफ ईशारा करते हुये कहा गया कि "बता दिया न, बताया ना इनको दस हजार रूपये" इस प्रकार आरोपी द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया है। परिवादी द्वारा थोडी गुजाईश की बात करने पर श्री अशोक भाटी द्वारा कहा गया कि "वो जो आपकी मर्जी है जो दे देना" इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मे स्पष्ट रूप से रिश्वत की बातचीत होना पाया गया है। परिवादी ने बताया कि वार्ता के दौरान ही श्री अशोक भाटी ने मेरे से ईशारो मे पैसो मांगे तो मैने उस समय मेरे पास मौजूद 500-500 रूपये के चार नोट अर्थात 2000 रूपये श्री अशोक भाटी को दे दिये। परिवादी ने बताया कि अशोक भाटी ने अब 25 तारीख को बुलाया है इसलिये आगे की कार्यवाही दिनांक 25.04.2023 को ही की जा सकती है। परिवादी श्री अजय सिंह रावत कार्यालय को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया। **दिनांक 25.04.2023 समय 10.10 ए.एम.** पर परिवादी श्री अजय सिंह रावत उपस्थित आया एवं तलबशुदा गवाह श्री कृष्ण यादव, पटवारी व श्री बीरबल राम डूडी पटवारी, तहसील कार्यालय अजमेर उपस्थित आये, जिनसे कार्यवाही मे बतौर गवाह रहने की सहमति प्राप्त की। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की दो सीडी तैयार की एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली मे सील्ड पिट किया जाकर मार्क "एम" अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। परिवादी श्री अजय सिंह द्वारा स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति

मे रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 12 नोट कुल 6,000 रूपये पेश किये, जिन पर श्री चतुर्भुज सैन वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मगवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रकिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। वायॅस रिकॉर्डर जिसमें नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को सुपुर्द किया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री रविन्द्र सिंह कानि व परिवादी श्री अजय सिंह को श्री रविन्द्र सिंह की मोटर साईकिल से, मन् निरीक्षक पुलिस व स्वतन्त्र गवाहान एवं एसीब स्टॉफ अलग–अलग मोटर साईकिल से रवाना होकर नगर निगम अजमेर के गांधीभवन कार्यालय के बाहर की तरफ पहुंचे। श्री रविन्द्र सिंह द्वारा परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गांधीभवन के बाहर की तरफ अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम रहे। कुछ समय बाद परिवादी बिना कोई ईशारा किये गांधीभवन से बाहर निकल कर मन् निरीक्षक पुलिस के पास आया। परिवादी ने बताया कि मै गांधीभवन कार्यालय मे जाकर अशोक भाटी से मिला तो उन्होने कहा कि माखुपुरा जाकर अशोक शर्मा से पट्टा ले लो तो उन्हे कागज (रिश्वत राशि) दे देना। फिर उन्होने अपने मोबाईल फोन से अशोक शर्मा को फोन करते हुये कहा कि इन्हे पट्टा दे देना तथा इनसे कागज (रिश्वत राशि) ले लेना। फिर उन्होने मुझे अशोक शर्मा के नम्बर दिये तथा मैने अशोक शर्मा को फोन किया तो उन्होने माखुपुरा स्थित सामुदायिक भवन मे बुलाया है। इस पर श्री तेजाराम पुलिस निरीक्षक व श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक को गांधीभवन के आसपास ही मुकीम रहने की हिदायत कर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान, मय परिवादी मय ट्रेप पार्टी सदस्यो के अलग–अलग मोटर साईकिल से रवाना होकर माखुपरा स्थित सामुदायिक भवन के समीप पहुंचा। वायॅस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द सामुदायिक भवन माखुपुरा अजमेर के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस भी सामुदायिक भवन के बाहर की तरफ मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी बिना कोई ईशारा किये मोबाईल पर बात करते हुये सामुदायिक भवन के बाहर आया तथा पैदल पैदल आगे की तरफ जाने लगा। मन् निरीक्षक पुलिस भी परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर सामुदायिक भवन से थोडी दूरी पर परिवादी मिला जिसके पास श्री रविन्द्र कानि भी मौजूद मिला। परिवादी ने बताया कि आपके पास से रवाना होकर मैने मेरे मोबाईल से अशोक शर्मा के मोबाईल पर वार्ता की तो उसने मुझे सामुदायिक भवन के अन्दर बुलाया। मै सामुदायिक भवन के अन्दर गया जंहा पर बहुत ज्यादा भीड थी। अशोक शर्मा से पट्टे के सम्बन्ध मे बात हुई तो उसने पट्टा शैलेष जैन को देने तथा उसे कल लेकर आने के लिये कहा। काफी ज्यादा भीडभाड होने से पैसे की बात नही हो पायी। उसने कहा कि पट्टा तो शैलेष को ही दिया जायेगा। फिर मै वंहा से बाहर आया तथा शैलेष जैन के मोबाईल पर बात की तो उसने कल आने के लिये कहा। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रवाना होकर एसीबी कार्यालय अजमेर पहुंचा। श्री तेजाराम पुलिस निरीक्षक व श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक भी निर्देशानुसार उपस्थित कार्यालय आये है। परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर कागज के लिफाफे में रखवाकर सुरक्षित रखवाई गई। वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के अलमारी मे सुरक्षित रखा। परिवादी व गवाहो को दिनांक 26.04.2023 को उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 26.04.2023 को परिवादी व स्वतन्त्र गवाह कार्यालय मे उपस्थित आये। परिवादी के मोबाईल से श्री शैलेष जैन के मोबाईल पर वार्ता करवायी तो शैलेष जैन ने 12.30 पीएम पर नगर निगम पहुँचने हेतु अवगत कराया। परिवादी ने अवगत करवाया कि अभी अभी मेरे फोन पर शैलेष जैन का कॉल आया तथा उसने बताया कि ऑफिस में कोई नही है, जिस पर परिवादी के मोबाईल से श्री अशोक शर्मा के मोबाईल पर कॉल किया गया तो श्री अशोक शर्मा ने बताया कि अभी मैं साहब के पास हूँ, गांधी भवन आ रहा हूँ, जिस पर परिवादी द्वारा श्री शैलेष जैन से जरिये मोबाईल वार्ता कर बताया कि अशोक शर्मा जी से मोबाईल पर वार्ता हुई है, वो साहब के पास है, गांधी भवन आ ही रहे है और मैं भी वही आ रहा हूँ, आप वही पर रूक जाओ। उसके बाद श्री शैलेष जैन का फोन आया कि अशोक शर्मा जी आ गये है, आप अभी तक नही आये है, जिस पर परिवादी ने कहा कि मैं आ ही रहा हूँ। इस कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखी रिश्वत राशि श्री चतुर्भुज सैन वरिष्ठ सहायक से निकलवाली जाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में कुछ भी शेष नही छोडते हुए रखवायी गई। मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री कैलाश चारण हैड कानि0, मोटर साईकिल से, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 मय वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड व परिवादी श्री अजय सिंह मोटर साईकिल से, श्री तेजाराम पु.नि. मोटर साईकिल से, श्रीमती रूचि उपाध्याय कानि0 व गवाह श्री वीरवल राम स्कूटी से, श्री युवराज सिंह हैड कानि0 व गवाह श्री कृष्ण यादव मोटर साईकिल से,

श्री गोविन्द मोटर साईकिल से, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक मय प्राईवेट वाहन मय लेपटॉप प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स के रवाना होकर गांधी भवन चौराहे पहुँचा तथा परिवादी श्री अजय सिंह को वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड रिश्वत राशि लेन–देन हेतु रवाना गांधी भवन स्थित नगर निगम कार्यालय के लिए किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गांधी भवन के अन्दर एवं आस–पास अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मौजूद रहे। **समय 01.38 पी.एम.** पर पर परिवादी श्री अजय सिंह रावत ने गांधी भवन, अजमेर के कान्फ्रेंस हॉल के बाहर बरामदे में आकर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत लेन–देन का निर्धारित ईशारा किया। जिस मन् निरीक्षक पुलिस ने समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यो को अपने पास बुलाकर मै मय ट्रेप पार्टी सदस्यो के परिवादी के पास पहुँचे तथा परिवादी के बताये अनुसार मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के गांधी भवन कान्फ्रेंस हॉल में पहुँचे, जहां एक व्यक्ति, जिसने सफेद शर्ट व पैंट पहनी हुई थी की तरफ ईशारा किया कि यही अशोक जी शर्मा है। इसी दौरान मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी से वॉयस रिकार्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि "इन्ही अशोक जी शर्मा ने अभी मेरे से कान्फ्रेंस हॉल के बाहर बरामदे में 6000 रूपये अपने हाथो से लेकर अपनी शर्ट की सामने की जेब में रख लिये तथा वे बाहर बगीचे की तरफ गये इस दरमियान मैंने आपको देखा तथा आपको ईशारा किया, इतने में अशोक जी शर्मा वापस कान्फ्रेंस हॉल में अपनी सीट पर आ गये।" इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के प्रयोजन से अवगत कराते हुए इसका परिचय पूछा तो अपना नाम अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल जाति बलाई उम्र 49 साल निवासी 540/33, तोपदडा, पुलिस थाना क्लॉक टॉवर, अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक, नगर निगम, अजमेर होना बताया। अशोक कुमार ने बताया कि "मेरी गौत्र भाटी है इसलिये कुछ लोग मुझे अशोक भाटी भी कहते है। श्री अशोक कुमार से परिवादी से प्राप्त की गई 6,000 रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो बताया कि "अभी इन्होने मुझे पैसे दिये थे, जो कितने थे मुझे पता नही मैने लेकर मेरी जेब में रखे तथा मैं खाना खाने वाला था इसलिए हाथ धोने बाहर की तरफ गया तथा बाहर लॉन में मुझे दांत ठीक करने वाला सरदार सुरेन्द्र मिला, जिसे मैने अजय सिंह द्वारा दिये गये पैसे दे दिये थे।" इस पर तुरन्त ही हमराहीयान स्टॉफ में से श्री गोविन्द सहाय को लेकर मन् निरीक्षक पुलिस गांधी भवन के लॉन में पहुँचकर एक व्यक्ति जिसने पगड़ी पहनी हुई थी दांत ठीक करने के औजार एवं पेटी लिये हुए बैठा हुआ था को अपना परिचय देकर हमराह लेकर कान्फ्रेंस हॉल में उपस्थित आया। श्री अशोक कुमार को पूछा गया कि आप द्वारा परिवादी प्राप्त रिश्वत राशि इन्हे ही दी क्या ? जिस पर श्री अशोक द्वारा स्वीकारोक्ति दी गई। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त शक्स से परिचय पूछा गया तो उसने अपना नाम "सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जीत सिंह जाति सिख भाटी उम्र 56 साल निवासी म.नं. 127, पृथ्वीराज नगर, भगवानगंज, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर होना बताते हुए विगत् 25–30 वर्षो से गांधी भवन कैम्पस में दांत ठीक करने का काम करता हूँ। यह काम मैने मेरे पिताजी से सिखा था।" श्री सुरेन्द्र सिंह से पूछा कि अभी अभी आपको श्री अशोक कुमार ने कोई पैसे दिये है क्या? जिस पर श्री सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि "हॉ सर अभी–अभी श्री अशोक जी ने मुझे पैसे दिये तथा कहा कि घर जाते वक्त ले जाउंगा। मैने पैसे लेकर बिना गिने ही, अपनी पेंट की अन्दर वाली जेब मे रख लिये, जो अभी भी मेरी पेंट की जेब में ही रखे हुए है। ये पैसे किस बात के है मुझे जानकारी नही है।" तत्पश्चात् श्री अशोक कुमार से परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछने पर बताया कि "मैंने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की, इन्होंने अपनी मर्जी से ही मुझे पैसे दिये, इन्होने कितने पैसे मुझे दिये यह भी मुझे पता नही है। श्री अशोक ने बताया कि इनसे संबन्धित पट्टा जो कि शैलेष जैन के नाम से है। मैने डिस्पेच रजिस्टर मे शैलेष जैन के हस्ताक्षर करवा लिये है, जो पट्टा मैं इनको अभी देने ही वाला था। इसलिए इन्होने राजीखुशी, अपनी मर्जी से मुझे पैसे दिये हैं। सुरेन्द्र सिंह को इसके बारे में पता नही है।" मौके पर उपस्थित श्री अजय सिंह ने बताया कि "मैं दिनांक 12.04.23 को श्री अशोक भाटी तथा श्री अशोक शर्मा से मिला था और जहां तक मुझे जानकारी जिन्होने मेरे से रिश्वत ली है, वो अशोक शर्मा हैं तथा जिन्होने मेरे से रिश्वत की मांग की थी तथा 2000 रूपये लिये थे वो अशोक भाटी है। कल जब मैं गांधी भवन आया तब अशोक भाटी मिले तथा इन्होने श्री अशोक जी शर्मा, जो उस समय कैम्प में थे को फोन करके कहा था कि कागज अर्थात पैसे ले लेना और पट्टा दे देना। मैं जब कल अशोक शर्मा (अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक) के पास गया तब इन्होने कहा कि शैलेष जैन को साथ लेकर आना, उन्हें पट्टा देंगे।" इस पर श्री अशोक कुमार ने कहा कि "मेरा नाम ही अशोक भाटी है, अशोक भाटी नाम का अन्य कोई व्यक्ति यहां पर नही है।" इस पर परिवादी ने कहा कि जो अशोक भाटी है वो गंजे तथा थोडे मोटे है तथा कल दोपहर में उन्होने इनसे मोबाईल पर बात की थी, जिस पर अशोक कुमार ने कहा कि वो अशोक भाटी नही है वे तो श्री ऋषि माथुर

ड्राफ्टमेन है। श्री अजय सिंह रावत ने पास में ही खडे दुबले पतले व्यक्ति, जिसने कीम कलर का शर्ट पहन रखा था की तरफ ईशारा कर बताया कि ये शैलेष जी जैन हैं, जिसको मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पूरा नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री शैलेष जैन पुत्र श्री जमनादास जैन जाति जैन उम्र 56 साल निवासी कबीर मार्ग, केसरगंज, अजमेर पेशा कबाडी होना बताते हुए कहा कि "मैने मेरा मकान श्री अजय सिंह रावत को बेच दिया था तथा इससे पूर्व मैने मकान पट्टे का आवेदन नगर निगम अजमेर में कर दिया था चूंकि मेरे द्वारा मेरा मकान बेचा जा चुका था इसलिए मैने पट्टे के लिये निगम में कोई सम्पर्क नही किया था। बाद मे अजय सिंह रावत के कहने पर मैं निगम कार्यालय में गया तथा पट्टे के संबंध में पूछताछ की तो अशोक भाटी (ऋषि माथुर) जो कि पट्टा शाखा, नगर निगम अजमेर के गांधी भवन कार्यालय में ही बैठते है ने 10,000 रूपये देने की कहा। यह बात मैने अजय सिंह रावत को बता दी थी। दिनांक 12.04.23 को श्री अजय सिंह रावत के साथ मैं भी गांधी भवन नगर निगम के कार्यालय में आया तथा अशोक भाटी (ऋषि माथुर) व अशोक जी शर्मा (अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक) से मिले, उस दौरान भी पट्टे व पैसे की बात हुई थी तब श्री अशोक भाटी (ऋषि माथुर) ने कहा कि मैने इन्हें अर्थात मुझे 10000 रूपये का बता दिया है। अजय सिंह ने कुछ रूपये कम करने का कहा था। बातचीत के दौरान अशोक जी (अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक) भी साथ मे थे। कल दोपहर में अजय सिंह का मेरे पास कॉल आया था तथा मुझे बुलाया तो मैने आज के लिए कहा। आज भी मेरी 3–4 बार फोन पर अजय सिंह से बात हुई। अजय सिंह नगर निगम कार्यालय आया तथा हम अशोक जी (अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक) से मिले अशोक जी (अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक) ने रजिस्टर पर पट्टा प्राप्ति के मेरे साईन करवाकर अशोक जी (अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक) व अजय सिंह हॉल से बाहर की तरफ चले गये और मैं यही खड़ा रहा। थोडी देर बाद अशोक जी (अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक) वापस अन्दर आ गये तथा इनके पीछे–पीछे ही आप लोग भी आ गये, मैं तब से यही खड़ा हूँ। इस पर श्री ऋषि माथुर के संबंध मे पूछने पर श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक ने बताया कि वे अभी निगम कार्यालय गये हुए, जिस पर श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक के मोबाईल से ऋषि माथुर के मोबाईल पर वार्ता करवाकर उन्हे गांधी भवन कार्यालय में आने हेतु कहा गया। तत्पश्चात् प्राईवेट वाहन से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर कान्फ्रेंस हॉल में रखे जग मे से पानी से दो कांच के साफ गिलास को साफ पानी से धुलवाया जाकर दोनो कांच के गिलास मे साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमे अलग अलग गिलासो के घोल मे श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ सहायक के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने एवं बांये हाथ के धोवण का रंग मटमेला हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर मटमेला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर चारो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमशः आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् दो कांच के साफ गिलास को साफ पानी से धुलवाया जाकर दोनो कांच के गिलास मे साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो रानी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमे अलग अलग गिलासो के घोल मे श्री सुरेन्द्र सिंह के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने एवं बांये हाथ के धोवण का रंग मटमेला हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर मटमेला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर चारो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमशः एसआरएच 1, एसआरएच 2, एसएलएच 1 व एसएलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् श्री सुरेन्द्र सिंह की निशादेही से उसकी पहनी हुई पेंट की अन्दर की जेब से गवाह श्री कृष्ण यादव से रिश्वत राशि निकलवाकी जाकर दोनो गवाहान से गिनने एवं फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो को गिनकर 500–500 रूपये के 12 नोट कुल 6000 रूपये होना एवं नोटो का मिलान पूर्व मे मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से हुबहु होना बताया गया। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 6000 रूपये को एक पीले कागज के लिफाफे में रखकर सील्ड कर मार्क एन अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात् एक साफ कांच का गिलास को साफ पानी से धुलवाया जाकर कांच के गिलास मे साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर

घोल तैयार कर श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक का शर्ट उतरवाकर उसकी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उसको उलटवाकर सोडियम कोर्बोनेट के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी झाईनुमा हो गया, जिस पर दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर दोनो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमशः एस 1, एस 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त शर्ट बरंग सफेद की सामने की जेब को उलटवाकर उस पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त शर्ट को एक कपडे की थेली में रखकर सील्ड कर मार्क एस अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी श्री अजय सिंह से संबन्धित पट्टे की फाईल के संबंध में पूछने पर श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक ने बताया कि "अजय सिंह रावत से संबन्धित मकान पट्टे का आवेदन श्री शैलेष जैन द्वारा किया गया है, समस्त औपचारिकता पश्चात् 69क पट्टा विलेख के तहत पट्टा दिनांक 22.04.23 को तैयार कर लिया गया था परन्तु श्री शैलेष के नही आने से इनको नही दिया गया था। श्री शैलेष जैन से संबन्धित पट्टा पत्रावली अभी मेरी टेबल पर ही रखी हुई है। श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक ने अपने टबल पर रखी हुई एक पत्रावली प्रस्तुत की, जो श्री शैलेष जैन पुत्र श्री जमनादास जैन के नाम से होकर तीन प्रतियो में नगर निगम अजमेर का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69क, के तहत पट्टा विलेख (फ्री होल्ड) पट्टा कमांक नि./पी.एस.के.एस./2021/1623 दिनांक 22.04.23 से गली नं. 5, माखुपुरा, अजमेर का क्षेत्रफल 163.70 वर्गगज का आवासीय पट्टा जारी हो रखा हैं। इसके अतिरिक्त पट्टा रजिस्टर में दिनांक 22.04.23 को शैलेष जैन को पट्टा देने का अंकन है, जिस पर श्री शैलेष जैन के हस्ताक्षर व मोबाईल नम्बर अंकित हैं।" उक्त पट्टा अभिलेख पत्रावली, डिस्पेच रजिस्टर व श्री शैलेष जैन के नाम से जारी पट्टा की तीन प्रतिया अपने पास सुरक्षित रखी गई। तत्पश्चात् श्री ऋषि माथुर के उपस्थित नही आने पर श्री ऋषि माथुर के निवास स्थान के बारे में पूछने पर श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक ने बताया कि वह आनन्द नगर में रहते है, जिस पर श्री गोविन्द शर्मा कानि0 01 व श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक को श्री ऋषि माथुर को लेकर आने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत कैम्प के कारण मौके पर बड़ी तादाद में आम जनता की आवाजाही होने से मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान, मय गवाहान, जब्तशुदा आर्टिकल, मय श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री शैलेष जैन प्राईवेट वाहन एवं मोटर साईकिलो से गांधी भवन से रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुँचा तथा अग्रिम कार्यवाही आरंभ की गई। तत्पश्चात् कार्यालय से साफ पानी मंगवाया जाकर एक साफ कांच का गिलास को साफ पानी से धुलवाया जाकर कांच के गिलास मे साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। श्री सुरेन्द्र सिंह की पेंट उतरवाकर उसकी अन्दर की जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उसको उलटवाकर सोडियम कोर्बोनेट के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने का हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर दोनो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमशः पी 1, पी 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त पेंट बरंग गहरा स्लेटी की अन्दर की जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है को उलटवाकर उस पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेंट को एक कपडे की थेली में रखकर सील्ड कर मार्क पी अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी दौरान श्री गोविन्द सहाय कानि0 श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक श्री ऋषि माथुर को लेकर उपस्थित आये, जिनका मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो अपना नाम ऋषि माथुर पुत्र स्व0 श्री शीतल प्रसाद माथुर जाति कायस्थ उम्र 50 साल निवासी म.नं. 46 आनन्द नगर, पुलिस थाना किशचयनगंज, अजमेर हाल ड्राफ्टमेन नगर निगम, अजमेर होना बताया। इस पर परिवादी अजय सिंह ने स्वत् ही कहा कि "इन्हें ही मैं अशोक जी भाटी के नाम से जानता हूँ।" श्री ऋषि माथुर को दिनांक 12.04.23 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिश्वत राशि 10,000 रूपये मांगने एवं 2000 रूपये प्राप्त करने के बारे में पूछा तो बताया कि "दिनांक 12.04.23 को गांधी भवन स्थित नगर निगम के कार्यालय में मैं, अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक, सुनील सफाई कर्मचारी बैठे थे तब अजय सिंह व शैलेष जैन आये थे। अजय सिंह का हमारे पास कोई कार्य पेण्डिंग नही था, ना ही इनके नाम से कोई पट्टे के लिए आवेदन था। मैने अजय सिंह से कोई रिश्वत की माग नही की है ना ही मैने दिनांक 12.04.23 को 2000 रूपये प्राप्त किये।" जिस पर श्री ऋषि माथुर को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सुनायी गई तो कहा कि "इसमे मेरी आवाज है परन्तु मेरे द्वारा अजय सिंह से

कोई रिश्वत की बात नही की गई हैं, जो 10000 रूपये वाली बात है वो मैने नही की" इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने कहा कि "उस दिन 10000 रूपये वाली बात इन्होने ही कही थी तथा मैने इन्हे ही 2000 रूपये दिये थे। मुझे इनके नाम की सही जानकारी नही थी परन्तु इन्होने ही 10000 रूपये रिश्वत का कहा था तथा 2000 रूपये मेरे से प्राप्त किये थे।" इस संबंध में शैलेष जैन से पूछा तो उसने बताया कि "मैं भी इनका नाम अशोक ही जानता था। यह बात सही है कि इन्होने पट्टा देने के बदले 10000 रूपये रिश्वत की मांग की थी, यह बात मैने अजय सिंह को बता दी थी। दिनांक 12.04.23 को जब हम इनसे मिले, तब अजय सिंह ने इनसे पैसे के संबंध में पूछा तो इन्होने मेरी तरफ इशारा कर अजय सिंह को बताया था कि इनको बता दिये थे ना 10000 रूपये।" तत्पश्चात् हमराह लाये गये पट्टा आवेदन पत्रावली का अवलोकन किया गया तो दिनांक 22.04.2023 को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69क, के तहत पट्टा विलेख (फ्री होल्ड) पट्टा कमांक नि./पी.एस.के.एस./2021/1623 दिनांक 22.04.23 से गली नं. 5, माखुपुरा, अजमेर का क्षेत्रफल 163.70 वर्गगज का आवासीय पट्टा जारी किया गया। पट्टा–69(ए) डिस्पेच रजिस्टर–2, जो कम संख्या 1 से 200 होकर पेज 11 तक फाईल का अंकन किया गया हुआ। पेज नं. 7 पर पत्रावली संख्या 37/179 शैलेष जैन पुत्र जमनादास, माखपुरा पीएसकेएस/1623 दिनांक 22.04.23 को डिस्पेच करने का अंकन हैं तथा श्री शैलेष जैन के हस्ताक्षर व मोबाईल नम्बर अंकित हैं। श्री शैलेष जैन को जारीशुदा पट्टा तीन प्रतियो मे होकर महापोर व उपायुक्त, नगर निगम अजमेर व पट्टा धारक शैलेष के हस्ताक्षर है। पट्टा पत्रावली के नोटशीट के पेज नम्बर 6 पर परिवादी द्वारा दिनांक 10.04.23 को 600 रूपये आवेदन शुल्क शैलेष जैन के नाम से जमा करवाया हुआ हैं। पत्रावली संधारणकर्ता लिपिक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक एवं श्री ऋषि माथुर वरिष्ठ प्रारूपकार ने टिप्पणी "आवेदक द्वारा शुल्क जमा करवा दिया गया है। अतः धारा 69ए के अन्तर्गत फ्री होल्ड पट्टा तैयार कर अवलोकनार्थ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।" टंकण कर अपने अपने हस्ताक्षर कर रखे है व दिनांक 10.04.23 अंकित कर रखी हैं। आरोपी श्री अशोक कुमार ने पूछने पर बताया कि मैने पट्टा अभिलेख दिनांक 10.04.23 को ही तैयार कर दिया था। इसके पश्चात् कनिष्ठ अभियन्ता व प्रभारी द्वारा दिनांक 13.04.23 मे व उपायुक्त व महापोर द्वारा दिनांक 18.04.23 को नोटशीट पर व पट्टे पर हस्ताक्षर किये हैं। आरापी श्री अशोक कुमार ने बताया कि पट्टा डिस्पेच रजिस्टर में मैने पट्टे को दिनांक 24.04.23 को डिस्पेच कर दिया था परन्तु शैलेष जैन व अजय सिंह आज लेने आया, जिस पर मैने अभी पट्टे पर व डिस्पेच रजिस्टर में शैलेष जैन के हस्ताक्षर करवाये। पट्टा आवेदन पत्रावली, पट्टा डिस्पेच रजिस्टर व पट्टे की छायां प्रतिया करवायी जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया।

दिनांक 27.04.2022 को समय 10.20 ए.एम. को परिवादी व गवाहन की उपस्थिति में रिश्वत राशि लेन देन से पूर्व व रिश्वत राशि लेनदेन के समय हुई वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा चार सीडी तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर सील्ड किया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री अजय सिंह रावत द्वारा ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर स्थित मकान को श्री शैलेष जैन से दिनांक 03.08.2022 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीदा जाकर लाईट व बिजली के कनेक्श स्वयम् के नाम स्थानान्तरित करवाये गये। उक्त मकान के पूर्व मालिक श्री शैलेष जैन दिनांक 04.05.2022 को नगर निगम अजमेर में उक्त आवासीय मकान के पट्टे हेतु आवेदन किया था। जिस पर पत्रावली के अनुसार पट्टा जारी होने की समस्त प्रकिया पूरी होकर केवल आवेदन शुल्क 600 रूपये जमा कर पट्टा जारी करना ही शेष था। उक्त पट्टा प्राप्ति हेतु परिवादी ने आरोपी ऋषि माथुर व आरोपी श्री अशोक कुमार सम्पर्क किया तो पट्टा देने की एवज में रिश्वत की मांग की, जिस पर परिवादी ने ब्यूरो में शिकायत प्रस्तुत की, जिस पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार दिनांक 12.04.23 को आरोपी श्री ऋषि माथुर (परिवादी द्वारा तत्समय बताये नाम अशोक कुमार भाटी) ने व आरोपी श्री अशोक कुमार ने परिवादी से पट्टा देने के संबंध में वार्ता की व इस वार्ता के दौरान आरोपी ऋषि माथुर ने 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा 2000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की। वक्त लेन–देन दिनांक 26.04.23 को आरोपी श्री अशोक कुमार ने परिवादी से 6000 रूपये रिश्वत राशि लेकर अपनी शर्ट की जेब रखे तथा सावधानी बरतते हुए कान्फ्रेंस हॉल के बाहर लॉन में बैठे हुए अपने परिचित व्यक्ति श्री सुरेन्द्र सिंह को यह कहते हुए दिये कि मैं घर जाते समय ले जाउंगा अभी तेरे पास रख। रिश्वत राशि आरोपी सुरेन्द्र सिंह की पेंट की अन्दर की जेब से

बरामद की गई। आरोपी अशोक कुमार के दोनो हाथो का धोवण मटमेला तथा शर्ट की जेब का धोवण झाईनुमा हल्का गुलाबी एवं आरोपी सुरेन्द्र सिंह के दोनो हाथो का धोवण मटमेला तथा पेंट की जेब का धोवण हल्का गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण 1. श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल जाति बलाई उम्र 49 साल निवासी 540/33, तोपदड़ा, पुलिस थाना क्लॉक टॉवर, अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक, नगर निगम, अजमेर, 2 सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जीत सिंह जाति सिख भाटी उम्र 56 साल निवासी म.नं. 127, पृथ्वीराज नगर, भगवानगंज, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर एवं 3. श्री ऋषि माथुर पुत्र स्व0 श्री शीतल प्रसाद माथुर जाति कायस्थ उम्र 50 साल निवासी म.नं. 46 आनन्द नगर, पुलिस थाना किशनयनगज, अजमेर हाल ड्राफ्टमेन नगर निगम, अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 एवं 120बी भा.द.सं. का कारित करना पाया जाता है। उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(नरेश चौहान)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ सहायक, नगर निगम, अजमेर 2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जीत सिंह, निवासी म.नं. 127, पृथ्वीराज नगर, भगवानगंज, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर एवं 3. श्री ऋषि माथुर, ड्राफ्टमेन, नगर निगम, अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 100/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.4.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 770-73 दिनांक 28.04.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. निगम बोर्ड, नगर निगम, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

28.4.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।